

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़(ब्यावरा) म.प्र.

Phone & FAX No. 07372-255017

E-Mail Id- dcourtraj- mp@nic.in

!! कार्य विभाजन आदेश !!

क्रमांक 241/एस.डब्ल्यू/ 10 / 2026

राजगढ़ दिनांक 11/06/2026

मैं राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम 1958 की धारा 15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-8 की उप धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार न्यायिक कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो दिनांक 15.06.2026 से प्रभावशील होगा:-

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ म.प्र.	सत्र खण्ड राजगढ़ तथा तहसील जीरापुर एवं खिलचीपुर	1	समस्त सत्र प्रकरण।
			2	समस्त आपराधिक अपील।
			3	समस्त आपराधिक पुनरीक्षण।
			4	जमानत आवेदन पत्र भा.ना.सु.सं.,2023 की धारा 482, 483 के अंतर्गत (तहसील ब्यावरा, नरसिंहगढ़, पचौर एवं सारंगपुर को छोड़कर)
			5	भा.ना.सु.सं.,2023 की धारा 222 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			6	आपराधिक प्रकरणों में भा.ना.सु.सं.,2023 की धारा 448, 449 के अंतर्गत आवेदन पत्र।
			7	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित प्रकरण।
			8	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रकरण।
			9	ग्राम न्यायालय राजगढ़ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 33 व 34 के अधीन अपील।
			10	ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
	सिविल जिला राजगढ़		1	रु. 10,00,00,001 (दस करोड़ एक) से अधिक मूल्यांकन के मूल व्यवहार वाद।
			2	दिवालिया अधिनियम के 5,00,00,001(पांच करोड़ एक) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण (प्रोविशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1920)।
			3	निर्वाचन याचिका धारा 20 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत।
			4	धारा 24 व्य.प्र.सं के अंतर्गत प्रकरणों के अंतरण संबंधी आवेदन पत्र।
			5	तहसील राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर क्षेत्र से उत्पन्न मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत मृत्यु से संबंधित प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारियों द्वारा पारित आदेश/निर्णय की अपीलें (खाद्य सुरक्षा ट्रिब्युनल धारा 70 के अधीन)
			7	ऐसे व्यवहार प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं है ।
		राजस्व जिला राजगढ़	1	सार्वजनिक संपत्ति (एविक्शन आफ अनअथोराइज्ड ओक्यूपेन्ट्स) एक्ट, 1971 से संबंधित अपील ।
			2	वाणिज्यिक न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण ।
			3	कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेंट डिवीजन आफ हाईकोर्ट एक्ट, 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
			4	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20(ख) के अंतर्गत प्रकरण ।
			5	प्रोबेट प्रकरण ।
2	विशेष न्यायाधीश (अनु0जाति/जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम राजगढ़/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश राजगढ़	सत्र खण्ड राजगढ़	1	अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र ।
			2	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 POCSO ACT से संबंधित समस्त प्रकार की कार्यवाही (रिमांड, जमानत याचिकायें आदि)
			3	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2015 के अंतर्गत बालकों के प्रति अपराध या बालक अधिकारों का उल्लंघन संबंधी अपराध(पीड़ित अव्यस्क बच्चों की चायना से संबंधित प्रकरण) ।
			4	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण ।
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ़	सत्र खण्ड राजगढ़	1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रकरण ।
			2	स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 एवं उनसे संबंधित प्रकरण ।
			3	म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत उदभूत समस्त प्रकरण ।
			4	मुख्यालय राजगढ़ में पूर्व में कार्यरत रहे अपर सत्र न्यायालय जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है उन न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाहियां ।
			5	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण ।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील राजगढ़, खिलचीपुर एवं जीरापुर	1	रु. 1,00,00,000 से 5,00,00,000(एक करोड़ से पांच करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद। (तहसील राजगढ़, खिलचीपुर एवं जीरापुर के क्षेत्राधिकार के)
			2	लघुवाद रुपये 500/- से अधिक के तहसील राजगढ़ एवं खिलचीपुर क्षेत्र के।
			3	दिवालिया अधिनियम (प्रोविशियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920) के रु. 1,00,00,001 से 5,00,00,000(एक करोड़ एक से पांच करोड़) तक के प्रकरण (तहसील राजगढ़ एवं खिलचीपुर के क्षेत्राधिकार के)।
			4	The Arbitration & Conciliation Act 1996 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन तहसील राजगढ़ एवं खिलचीपुर क्षेत्र के)।
			5	भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत प्रकरण एवं भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत उक्त अधिनियम में धारा 64 के अधीन प्रकरण।
			6	तहसील राजगढ़, खिलचीपुर क्षेत्र से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 1988 के अंतर्गत मृत्यु प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरण एवं कनेक्टेड केस।
			7	आरक्षी केन्द्र राजगढ़, खुजनेर, कालीपीठ, खिलचीपुर, छापीहेडा, भोजपुर, द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) कं 9322/2022 Gohar Mohammad Vs. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दुर्घटना से संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)।
			8	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड राजगढ़ द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें।
			9	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ़	सत्र खंड राजगढ़	1	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष प्रकरण (तहसील राजगढ़, खिलचीपुर एवं जीरापुर)।
			2	जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित सत्र प्रकरण।
			3	Lynching and mob-violence से संबंधित प्रकरण (तहसील राजगढ़, खिलचीपुर एवं जीरापुर)।
			4	राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 से संबंधित प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5	भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 164 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण (तहसील राजगढ़, खिलचीपुर एवं जीरापुर)।
			6	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील राजगढ़, खिलचीपुर एवं जीरापुर	1	रु. 5,00,00,001 से 10,00,00,000 (पांच करोड़ एक से दस करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद (तहसील राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर के क्षेत्राधिकार के)।
			2	लघुवाद रुपये 500/- से अधिक के तहसील जीरापुर के तहत प्रकरण।
			3	दिवालिया अधिनियम (प्रोविशियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920) के रु. 1,00,00,001 से 5,00,00,000 (एक करोड़ एक से पांच करोड़) तक के प्रकरण (तहसील जीरापुर के क्षेत्राधिकार के)।
			4	तहसील जीरापुर क्षेत्र से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 1988 के अंतर्गत मृत्यु प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरण एवं कनेक्टेड केस।
			5	आरक्षी केन्द्र जीरापुर एवं माचलपुर द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) कं 9322/2022 Gohar Mohammad Vs. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दुर्घटना से संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)।
			6	The Arbitration & Conciliation Act 1996 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन तहसील जीरापुर के क्षेत्राधिकार के)।
			7	Local limits of Civil District Rajgarh की क्षेत्राधिकारिता के लिये "अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019" (The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act 2019) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			8	मुख्यालय राजगढ़ में पूर्व में कार्यरत रहे जिला न्यायालय जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है उन न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाहियां।
			9	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड जीरापुर एवं खिलचीपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें।
			10	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर आंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश राजगढ़	सत्र खण्ड राजगढ़	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील राजगढ़, खिलचीपुर एवं जीरापुर	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर आंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
6	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ़ के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश राजगढ़	सत्र खण्ड राजगढ़	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील राजगढ़, खिलचीपुर एवं जीरापुर	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर आंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
7	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावरा	सत्र उपखण्ड ब्यावरा	1	सुश्री भावना कछावा एवं श्रीमती काजल सिंह पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा के न्यायालय से भा.ना.सु.सं. 2023 के अधीन उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण एवं भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 430 के आवेदन (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि वर्जित न हो)।
			2	सुश्री भावना कछावा एवं श्रीमती काजल सिंह पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा के न्यायालय के लंबित प्रकरणों में जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 482, 483 (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि द्वारा वर्जित न हो)।
			3	म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।
			4	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ACT) से संबंधित समस्त प्रकार की कार्यवाही (रिमांड, जमानत याचिकायें आदि)
			5	Lynching and mob-violence से संबंधित प्रकरण।
			6	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष प्रकरण (तहसील ब्यावरा)।
			7	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील ब्यावरा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावरा	सत्र उपखण्ड ब्यावरा	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील ब्यावरा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर आंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
9	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावरा	सत्र उपखण्ड ब्यावरा	1	श्री युवराज दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा के न्यायालय से भा.ना.सु.सं. 2023 के अधीन उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण एवं भा.ना.सु.सं.,2023 की धारा 430 के आवेदन (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि वर्जित न हो)।
			2	श्री युवराज दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा के न्यायालय से लंबित प्रकरणों के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत भा.ना.सु.सं.,2023 की धारा 482, 483 (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि द्वारा वर्जित न हो)।
			3	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील ब्यावरा	1	राजस्व तहसील ब्यावरा के अंतर्गत रु. 2,50,00,001 से 5,00,00,000 (दो करोड़ पचास लाख एक से पाँच करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	तहसील ब्यावरा के आरक्षी केन्द्र सुठालिया, एवं करनवास से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			3	आरक्षी केन्द्र सुठालिया एवं करनवास द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) कं 9322/2022 Gohar Mohammad Vs. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत समस्त दुर्घटना में प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)।
			4	लघुवाद रुपये 500/- से अधिक मूल्य के प्रकरण।
			5	समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ब्यावरा के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीले।
			6	तहसील ब्यावरा में पूर्व में कार्यरत रहे जिला न्यायालय जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है उन न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाहियां।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावरा	सत्र उपखण्ड ब्यावरा	1	सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा के न्यायालय से भा.ना.सु.सं. 2023 के अधीन उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण एवं धारा भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 430 के आवेदन (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि वर्जित न हो)।
			2	सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा के न्यायालय में लंबित प्रकरणों के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 482, 483 (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि द्वारा वर्जित न हो)।
			3	ग्राम न्यायालय ब्यावरा के निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न धारा 33 एवं धारा 34 के अधीन अपील एवं पुनरीक्षण।
			4	भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 164 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण।
			5	तहसील ब्यावरा में पूर्व में कार्यरत रहे अपर सत्र न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है उन न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाहियां।
			6	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
	सिविल जिला राजगढ़ तहसील ब्यावरा		1	राजस्व तहसील ब्यावरा के अंतर्गत रु. 1,00,00,001 से 2,50,00,000 (एक करोड़ एक से दो करोड़ पचास लाख) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	तहसील ब्यावरा के आरक्षी केन्द्र सिटी एवं देहात ब्यावरा एवं थाना मलावर से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			3	आरक्षी केन्द्र सिटी एवं देहात ब्यावरा एवं थाना मलावर द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) कं 9322/2022 Gohar Mohammad Vs. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत समस्त दुर्घटना में प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)।
			4	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ब्यावरा के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीले।
			5	The Arbitration & Conciliation Act 1996 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन पत्र।
			6	दिवालिया अधिनियम के रु. 1,00,00,001 से 5,00,00,000 (एक करोड़ एक से पाँच करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			7	गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट 1890, हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			8	हिन्दू विवाह अधिनियम 1956, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रकरण।
			9	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत प्रकरण एवं भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत उक्त अधिनियम में धारा 64 के अधीन प्रकरण।
			10	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं विवाहित संबंधों से संबंधित अन्य प्रकरण।
			11	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
11	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहगढ़	सत्र उपखण्ड नरसिंहगढ़	1	सुश्री अदिति मण्डलोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहगढ़ के आदेश/ निर्णय से भा.ना.सु.सं. 2023 के अधीन उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण एवं भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 430 के आवेदन (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि वर्जित न हो)।
			2	आरक्षी केन्द्र बोडा, आरक्षी केन्द्र कुरावर तहसील नरसिंहगढ़ से संबंधित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत भा.ना. सु.सं. 2023 की धारा 482, 483 (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि द्वारा वर्जित न हो)।
			3	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष प्रकरण (तहसील नरसिंहगढ़)।
			4	तहसील नरसिंहगढ़ में पूर्व में कार्यरत रहे अपर सत्र न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है उन न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाहियां।
			5	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील नरसिंहगढ़	1	राजस्व तहसील नरसिंहगढ़ के अंतर्गत रु. 1,00,00,001 से 5,00,00,000 (एक करोड़ एक से पांच करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	आरक्षी केन्द्र बोडा एवं कुरावर से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 1988 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			3	आरक्षी केन्द्र बोडा एवं कुरावर (तहसील नरसिंहगढ़ से संबंधित)द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) कं 9322/ 2022 Gohar Mohammad Vs. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत समस्त दुर्घटना में प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)।
			4	लघुवाद रुपये 500 से अधिक के।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5	समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहगढ़ द्वारा पारित निर्णय/ आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें।
			6	दिवालिया अधिनियम के रु. 1,00,000,01 से 5,00,000,00 (एक करोड़ एक से पांच करोड़) मूल्यांकन के प्रकरण।
			7	The Arbitration & Conciliation Act 1996 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन पत्र।
			8	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत प्रकरण एवं भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत उक्त अधिनियम में धारा 64 के अधीन प्रकरण।
			9	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
12	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहगढ़	सत्र उपखण्ड नरसिंहगढ़	1	सुश्री अदिति अग्रवाल एवं श्रीमती मीनू पचौरी दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहगढ़ के न्यायालय से भा.ना.सु. सं. 2023 के अधीन उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण एवं भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 430 के आवेदन (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि वर्जित न हो)।
			2	आरक्षी केन्द्र नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 482, 483 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि द्वारा वर्जित न हो)।
			3	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ACT) से संबंधित समस्त प्रकार की कार्यवाही (रिमांड, जमानत याचिकाएँ एवं अन्य कार्यवाही) तथा उक्त अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण।
			4	भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 164 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण।
			5	मोप्रो निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत उदभूत समस्त प्रकरण।
			6	Lynching and mob-violence से संबंधित प्रकरण।
			7	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील नरसिंहगढ़	1	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नरसिंहगढ़ द्वारा पारित निर्णय/आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें।
			2	हिन्दू विवाह अधिनियम 1956, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3	गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट 1890, हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			4	“बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं विवाहित संबंधों से संबंधित मामलें”।
			5	आरक्षी केन्द्र नरसिंहगढ़ से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 1988 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	आरक्षी केन्द्र नरसिंहगढ़ द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) कं 9322/ 2022 Gohar Mohammad Vs. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत समस्त दुर्घटना में प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)।
			7	तहसील नरसिंहगढ़ में पूर्व में कार्यरत रहे जिला न्यायालय जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है उन न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाहियां।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
13	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सारंगपुर	सत्र उपखण्ड तहसील सारंगपुर एवं पचोर	1	श्रीमती आकांक्षा कत्याल, सुश्री शिवानी सैनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर के न्यायालय से भा.ना.सु.सं. के अधीन उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण एवं भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 430 के आवेदन (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि वर्जित न हो)।
			2	आरक्षी केन्द्र पचोर, लीमाचौहान, बोडा (तहसील पचोर से संबंधित) ग्राम पानिया, लसूल्डया, भोपालपुरा एवं उमरिया को सम्मिलित करते हुये, जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत भा. ना.सु.सं. 2023 की धारा 482, 483 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि द्वारा वर्जित न हो)
			3	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ACT) से संबंधित समस्त प्रकार की कार्यवाही (रिमांड, जमानत याचिकायें अदि)
			4	म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत उदभूत समस्त प्रकरण।
			5	तहसील सारंगपुर में पूर्व में कार्यरत रहे अपर सत्र न्यायालय जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है उन न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाहियां।
			6	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील सारंगपुर एवं पचौर	1	तहसील पचौर क्षेत्र के अंतर्गत रु. 1,00,00,001 से 5,00,00,000 (एक करोड़ एक से पांच करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	तहसील पचौर क्षेत्र से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			3	आरक्षी केन्द्र पचौर, लीमा चौहान एवं बोडा(तहसील पचौर से संबंधित) एवं शेष थानों से उत्पन्न द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) कं 9322/2022 Gohar Mohammad Vs. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत समस्त दुर्घटना में प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)।
			4	समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सारंगपुर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें।
			5	दिवालिया अधिनियम के रु. 1,00,00,001 से 5,00,00,000 (एक करोड़ एक से पाँच करोड़) मूल्यांकन के प्रकरण।
			6	The Arbitration & Conciliation Act 1996 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन पत्र। (तहसील पचौर)
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
14	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सारंगपुर	सत्र उपखंड तहसील सारंगपुर एवं पचौर	1	सुश्री अश्विनी गेहलोत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर के न्यायालय से भा.ना.सु.सं. 2023 के अधीन उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण एवं भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 430 के आवेदन (उस दशा को छोड़कर जब तक विधि वर्जित न हो)।
			2	आरक्षी केन्द्र सारंगपुर, खुजनेर, तलेन छापीहेडा(तहसील सारंगपुर) एवं जीआरपी सारंगपुर से संबंधित जमानत आवेदन पत्र भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 482, 483 के अंतर्गत।
			3	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष प्रकरण (तहसील सारंगपुर एवं पचौर)
			4	Lynching and mob-violence से संबंधित प्रकरण।
			5	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेशों (भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 164 के अंतर्गत) के विरुद्ध पुनरीक्षण।
			6	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		सिविल जिला राजगढ़ तहसील सारंगपुर एवं पचौर	1	तहसील सारंगपुर के अंतर्गत रु. 1,00,00,001 से 5,00,00,000 (एक करोड़ एक से पाँच करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	तहसील सारंगपुर क्षेत्र से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			3	आरक्षी केन्द्र सारंगपुर खुजनेर, तलेन द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) कं 9322/2022 Gohar Mohammad Vs. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत समस्त दुर्घटना में प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)।
			4	लघुवाद रुपये 500 से अधिक के प्रकरण।
			5	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सारंगपुर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें।
			6	हिन्दू विवाह अधिनियम 1956, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रकरण।
			7	गार्जियन वार्ड्स एक्ट 1890, हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			8	भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण एवं भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत उक्त अधिनियम में धारा 64 के अधीन प्रकरण।
			9	The Arbitration & Conciliation Act 1996 से संबंधित प्रकरण। (तहसील सारंगपुर)
			10	तहसील सारंगपुर में पूर्व में कार्यरत रहे जिला न्यायालय जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है उन न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाहियां।
			11	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजगढ़	तहसील राजगढ़	1	रु. 5,00,001 से 1,00,00,000 (पाँच लाख एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण।
			3	दिवालिया अधिनियम के रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) रु. तक के मूल्यांकन के प्रकरण।
			4	नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अधीन अपीले।
			5	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 500 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6	सहकारी संस्थान की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रु. 01 से 1,00,000,00 (एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			7	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			8	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजगढ़ के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त न्यायिक कार्य।
			9	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
16	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड राजगढ़	तहसील राजगढ़	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड राजगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	तहसील राजगढ़	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
18	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजगढ़	तहसील राजगढ़	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
19	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजगढ़	तहसील राजगढ़	1	रु0 01 से 5,00,000 (रूपये एक से पांच लाख) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	ऐसे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजगढ़ के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त न्यायिक कार्य।
			3	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
20	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजगढ़	तहसील राजगढ़	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	तहसील राजगढ़	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	तहसील राजगढ़	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
23	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय राजगढ़	तहसील राजगढ़	1	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित समस्त प्रकरण।
			2	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
24	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ब्यावरा	तहसील ब्यावरा	1	रु. 5,00,001 से 1,00,00,000 (पांच लाख एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			3	दिवालिया अधिनियम के रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक के मूल्यांकन के प्रकरण।
			4	नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अधीन अपीले।
			5	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 200 से अधिक एवं 500 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			6	सहकारी संस्थान की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			7	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			8	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ब्यावरा, के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			9	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ब्यावरा	तहसील ब्यावरा	1	रु. 2,00,001 से 5,00,000 (दो लाख एक रुपये से पांच लाख) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 200 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			4	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ब्यावरा के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे, किंतु वर्तमान में रिक्त हैं। उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			5	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
26	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ब्यावरा	तहसील ब्यावरा	1	रु. 0 से 2,00,000 (शून्य से दो लाख रुपये) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
27	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ब्यावरा	तहसील ब्यावरा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
28	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय ब्यावरा	तहसील ब्यावरा	1	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित समस्त प्रकरण।
			2	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
29	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़	1	रु. 50,00001 से 1,00,00,000 (पचास लाख एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			3	दिवालिया अधिनियम के रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक के मूल्यांकन के प्रकरण।
			4	नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन अपीलें।
			5	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 200 से अधिक एवं 500 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			6	सहकारी संस्थान की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रु. 1 से 1,00,000,00 (एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			8	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नरसिंहगढ़ के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			9	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
30	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़	1	रु. 5,00,001 से 50,00,000 (पांच लाख एक से पचास लाख) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़	1	रु. 0 से 5,00,000 (शून्य से पांच लाख) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 200 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			4	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नरसिंहगढ़ के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			5	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
32	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
33	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सारंगपुर	तहसील सारंगपुर एवं पचौर	1	रु. 5,00,001 से 1,00,00,000 (पांच लाख एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			3	दिवालिया अधिनियम के रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक के मूल्यांकन के प्रकरण।
			4	नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अधीन अपीले।
			5	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 200 से अधिक एवं 500 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			6	सहकारी संस्थान की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			7	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			8	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सारंगपुर के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			9	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
34	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सारंगपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	तहसील सारंगपुर एवं पचौर	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सारंगपुर	तहसील सारंगपुर एवं पचौर	1	रु. 0 से 5,00,000 (शून्य से पांच लाख) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 200 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			4	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सारंगपुर के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			5	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
36	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सारंगपुर	तहसील सारंगपुर एवं पचौर	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
37	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खिलचीपुर	तहसील खिलचीपुर	1	रु.5,00,001 से 1,00,00,000 (पांच लाख एक से एक करोड़) तक के मूल्यांकन व्यवहार वाद।
			2	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			3	दिवालिया अधिनियम के रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक के मूल्यांकन के प्रकरण।
			4	नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अधीन अपीले।
			5	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 200 से अधिक एवं 500 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			6	सहकारी संस्थान की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			7	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			8	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खिलचीपुर के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			9	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

कंडिका क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	उप कंडिका क.	प्रकरणों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड खिलचीपुर	तहसील खिलचीपुर	1	रु. 0 से 5,00,000 (शून्य से पांच लाख) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 200 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			4	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खिलचीपुर के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			5	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
39	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जीरापुर	तहसील जीरापुर	1	रु.5,00,001 से 1,00,00,000 (पांच लाख एक से एक करोड़) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र।
			3	दिवालिया अधिनियम के रु. 1 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक के मूल्यांकन के प्रकरण।
			4	नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन अपीले।
			5	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 200 से अधिक एवं 500 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			6	सहकारी संस्थान की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रु. 01 से 1,00,00,000 (एक से एक करोड़) तक मूल्य के प्रकरण।
			7	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			8	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जीरापुर के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			9	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
40	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जीरापुर	तहसील जीरापुर	1	रु. 0 से 5,00,000 (शून्य से पांच लाख) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2	सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत 200 रुपये तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
			4	ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जीरापुर के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य।
			5	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

नोट-1	यह कार्य विभाजन पत्रक न्यायालयों में पूर्व से लंबित मामलो को प्रभावित नहीं करेगा।
नोट-2	कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के अवकाश काल एवं अनुपस्थिति की दशा में उनके क्षेत्राधिकार का सामान्य एवं आवश्यक प्रकृति का कार्य प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ सम्पादित करेंगे।
नोट-3	किसी न्यायाधीश के अवकाश काल एवं अनुपस्थिति अथवा स्थानांतरण होने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य, कार्य प्रभार तालिका अनुसार उपलब्ध प्रभारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

पृ.कमांक 16.23/एस.डब्ल्यू/10/2026

राजगढ़ दिनांक 11/06/2026

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़।
 - 2 जिला/व्यवहार न्यायाधीश (समस्त) न्यायिक जिला स्थापना, राजगढ़।
 - 3 कलेक्टर, राजगढ़।
 - 4 पुलिस अधीक्षक, राजगढ़।
 - 5 लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/खिलचीपुर/जीरापुर।
 - 6 जिला अभियोजन अधिकारी, राजगढ़।
 - 7 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/खिलचीपुर/जीरापुर।
 - 8 प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़।
 - 9 प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायालय, राजगढ़।
 - 10 डी.एस.ए/एस.ए. राजगढ़/ ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/खिलचीपुर/जीरापुर।
 - 11 पंजीयन लिपिक, राजगढ़/ ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/खिलचीपुर/जीरापुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0